न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 127/2013

बलदेव सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ———अपीलांट

बनाम

1. आत्मासिंह माता हरनाम कौर पुत्र बख्तावरसिंह जाति जटसिख निवासी बुधरवाली हाल आबाद पक्का तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
2. परमजीत माता हरनाम कौर पुत्र बख्तावरसिंह जाति जटसिख निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर हाल आबाद समालसर तहसील बाघापुराना जिला मोगा पंजाब।
3. मक्खनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।

———रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का. अधि.1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

दिनांक 24.10.2013

उपस्थितिः—

श्री प्रदीप सिहाग, अभिभाषक अपीलांट

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक सं. 1 व 3

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 18.10.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 की माता के नाम चक 17 एस.डी.एस. के खाता सं. 80/74

18/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

में 0.854है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर पूर्व में वादी के पिता एवं वर्तमान में वादी का कब्जा पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है एवं काफी मेहनत करके इसे काश्त योग्य बनाया है। अब प्रतिवादीगण वादी को उक्त भूमि से बदेखल करना चाहते हैं। वादी का कब्जा प्रतिकूल होने से वादी उक्त भूमि का खातेदार हो चुका है। अतः वादी पत्र के अनुतोष की मद सं. क से घ के अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी मक्खन सिंह जबाब दावा मय कांउटरक्लेम पेश कर दावा खारिज करने एवं विवादित भूमि उसके द्वारा जरिये बैयनामा क्रय किये जाने से विवादित भूमि का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया।

अधी. न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर चार वाद बिन्दु कायम किये। सुनवाई करने के पश्चात वाद वादी खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा तनकीवाईज निर्णय नहीं किया है जबकि कानूनन तनकीवार निर्णय करना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। अधी. न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2013 के विरूद्ध पेश हुई जिसमें दावे का क्या निर्णय किया है स्पष्ट नहीं है। साथ ही दावे में तनकीयात कायम की मगर उनका सिलसिलेवार विनिश्चय नहीं किया गया तथा दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए आर.टी.ए के अन्तर्गत Specific घोषणा या rejection of claim के साथ–साथ स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष देना या खारिज

18/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का मोहताज है जो अधी. न्यायालय ने नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2013 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रत्येक तनकी का निर्णय साक्ष्य के आधार पर करें एवं गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर